न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

आदेश

विविध वाद सं0 01/2025–26

मोती लाल मांझी बनाम सरोज कुमार महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 03

यह वाद अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 319 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्राप्त विविध अभिलेख सं0–07/2024–25 के आधार पर प्रारंभ की गई, जो आवेदक मोती लाल मांझी पिता–स्व0 घांसीराम मांझी, ग्राम–हिसिम, थाना–कसमार, जिला–बोकारो के अनुरोध पर द्वितीय पक्ष के द्वारा मौजा–हिसिम अंतर्गत खाता नं0–56, प्लॉट नं0–45,48 एवं अन्य, कुल रकवा–13.18 एकड़ भूमि का ऑनलाईन पंजी 2 के पृष्ठ 55/2 में मोहन महतो के नाम गलत तरीके से जमाबंदी कायम कराने का आरोप लगाते हुए जमाबंदी रैयत का नाम सुधारने हेतु अनुरोध किये जाने से संबंधित है। वाद नामांकित करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत की गई।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में दिनांक 16.04.2025 को पारित आदेश के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा स्थलीय एवं राजस्व दस्तावेजों की जाँच की गई है एवं जाँचोपरांत पाया गया है कि मौजा–हिसीम अंतर्गत खाता नं0 56, प्लॉट नं0 45,48 एवं अन्य कुल रकवा 13.18 ए0 भूमि शुकर मांझी वो छोटो मांझी पेशरान दीलबर मांझी के नाम से रैयती दर्ज है। जाति संथाल है, जो CNT Act 1908 की धारा 46(1) (क) के दायरे में आते है आवेदक खतियानी रैयत के रिश्तेदार है। सम्पूर्ण भूमि का जामबंदी पंजी–2 के पेज नं0 55/2 में मोहन महतो वगै0 के नाम से चल रहा है। उक्त जमाबंदी में पेज नं0 146 से लाकर जमाबंदी खोले जाने का उल्लेख है परन्तु उक्त पेज नं0 146 में किसी अन्य रैयत के नाम की प्रविष्टि है। मोहन महतो वगै0 के नाम से कायम जमाबंदी वर्ष 1993–94 में खोली गई है वर्ष 2012–13 तक ऑफलाईन रसीद निर्गत की प्रविष्टि है जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नही है और न ही जमाबंदी में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज है। इस प्रकार जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है। मोहन महतो वगै0 के वंशजों द्वारा भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है इनके द्वारा दस्तावेज हेतु बार–बार समय की मांग की जा रही है। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर वर्तमान में खतियानी रैयत के रिश्तेदारों के द्वारा जोत आबाद किया जाता है। अंचल अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया है कि खतियानी रैयत आदिवासी हैं जो CNT Act 1908 की धारा 46(1) (क) के दायरे में आते हैं तथा आदिवासी खाते की भूमि गैर आदिवासी को कैसे हासिल हुआ इसके संबंध में द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है साथ ही चल रही जमाबंदी को संदेहात्मक बताया गया है।

अंचल अधिकारी के अभिलेख में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में आदिवासी खाते की भूमि है, जिसपर खतियानी रैयत के वंशजो द्वारा वर्तमान में जोत आबाद भी किया जा रहा है परन्तु ऑनलाईन

वर्तमान में पंजी 2 के पेज सं0 55 भाग सं0 2 में मोहन महतो वगै0 (गैर आदिवासी) के नाम से जमाबंदी इन्द्राज है। CNT Act 1908 में निहित प्रावधान के अंतर्गत आदिवासी की भूमि अवैध तरीके से गैर आदिवासी के नाम पाये जाने पर भू वापसी का भी प्रावधान है।

इस वाद की कार्यवाही अंचल अधिकारी कसमार का पत्रांक 319, दिनांक 17.04.2025 के प्रेषण उपरांत दिनांक 23.04.2025 को प्रारंभ कर तक द्वितीय पक्ष को 15 दिन से अधिक का समय दिनांक 15.05.2025 दिया गया। पुनः दिनांक 15.05.2025 को समय की माँग की गई, पुनः अतिरिक्त समय (पाँच दिन का) दिनांक 19.05.2025 तक दिया गया पुनः दिनांक 22.05.2025 को अंतिम अवसर देते हुए बहस हेतु समय दिया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा एवं लिस्ट ऑफ डोक्युमेंट दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना जिसमें उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न तर्क कहा गयाः–

खतियान उक्त भूमि का सुकर मांझी एवं छोटे मांझी के नाम से है। सुकर मांझी (नावल्द) हुए। छोटे मांझी का बेटा विश्वनाथ था। विश्वनाथ की मृत्यु हो गई उसकी पत्नी मोसमात फतवा हुई जो भूमि का दखलकार हुई जिसने जमीन बेच दिया 05.04.1943 को मोसमात रामधनी जो नया मांझी की पत्नी थी। एक अन्य सोबरन मांझी पिता का नाम तेनु मांझी उसने अपने नाबालिक लडका राजा राम मांझी के नाम से 05.04.1943 खरीदा था।

उसके बाद कई वर्षों तक दखल में उक्त भूमि थी। 1946 में उक्त भूमि तात्कालिक जमींदार दिल मियाँ एवं केसर मियाँ (पिता–जमीर मियाँ) को इस्तीफा रजिस्टर डीड सेरेंडर डीड नं0 2362 दिनांक 08.06.1946 को सेलेंडर कर दिया। इस सेलेंडर के बाद जो जमींदार लोग मेधु महतो पिता–गुरूचरण महतो और अन्दु महतो पिता हरिदास महतो को पूरी जमीन बन्दोबस्त कर दिया जिसकी सलामी 625 रू0 लिया एवं रेंट बाँध दिया 3 रू 1½ आना/यानि तीन रूपया डेढ़ आना और खास पोजिशन दे दिया गया। ये सभी महतो उन्ही के वंशज हैं। मेधु महतो के वंशज हैं। अन्दु महतो के वंशज हैं। ये लोग हाजिर नही हुए। किन्तु दखल में है। नोटिस नही हुआ था। उसके बाद सरकारी रसीद सम्मीलात रूप से रसीद कटा रहे हैं एवं दखल में हैं। जमाबंदी उनके नाम से खुला जोकि अंचल कार्यालय रजिस्टर II के पेज नं0 55/2 में मोहन महतो वगै0 के नाम से दर्ज है। रसीद कट रहा है। इसलिए महतो का ही आधार बनता है।

अंचल अधिकारी, कसमार के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि मूल रूप से खतियान में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) खाते की भूमि है। अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) की भूमि किसी अन्य गैर जाति का जमाबंदी दर्ज होना CNT Act 1908 की धारा 46(1)(क) के तहत अवैध जमाबंदी है।

अतः CNT Act 1908 (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908) का अनुपालन की दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजाति की भूमि को संरक्षित रखा जाना कानुनी प्रावधान है। इस संबंध में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन की माँग इस कार्यालय का पत्रांक 898/रा0, दिनांक 02.05.2025 के आलोक में अंचल अधिकारी कसमार का स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 01/मु0, दिनांक 05.05.2025 में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है स्थलीय एवं राजस्व दस्तोवज के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हिसीम अंतर्गत खाता नं0 56, प्लॉट नं0 45, 48 एवं अन्य कुल रकवा 13.18ए0 भूमि सुकर मांझी एवं छोटो मांझी पेशरान दीलबर मांझी के नाम से रैयती दर्ज है जाति सौताल है CNT Act 1908 की धारा 46(1)(क) के दायरे में आते हैं । आवेदक खतियानी रैयत के रिस्तेदार हैं

सम्पूर्ण भूमि का जमाबंदी पंजी–2 का पेज नं0 55/2 में मोहन महतो वगै0 के नाम से चल रहा है उक्त जमाबंदी में पेज नं0 146 से लाकर खोले जाने का उल्लेख है परंतु उक्त पेज नं0 146 में किसी अन्य रैयत के नाम की प्रविष्टि है। जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है और न ही किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज है इस प्रकार जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया था खतियानी रैयत आदिवासी हैं CNT Act 1908 की धारा 46(1)(क) के दायरे में आते हैं। मोहन महतो के नाम से चल रही जमांबदी निराधार एवं संदेहात्मक पाऐ जाने की स्थिति में पूर्व में अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसे कार्यालय का पत्रांक 319 दिनांक 17.04.2025 को अभिलेख भवदीय को भेजा गया था।

अतः CNT Act 1908 (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908) की धारा 46(1)(क) का अनुपालन के मद्दे नजर मोहन महतो वगै0 के नाम से पंजी–2 में चल रही संदेहात्मक जमाबंदी को निरश्त करने एवं खतियानी रैयत सुकर मांझी एवं छोटो मांझी पेशरान दीलबर मांझी के नाम से जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है।

उपरोक्त अवलोकन उपरांत निष्कर्ष में कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में धारा 46 के तहत गैर अनुसूचित जनजाति में भूमि का हस्तांतरण नही होता है। साथ ही यदि भूमि का हस्तांतरण पूर्व से सक्षम पदाधिकारी या उपायुक्त का विधिवत सहमति अनिवार्य है। परन्तु इस प्रकार की सक्षम पदाधिकारी का अनुमति/सहमति कोई भी दस्तावेज इस वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्राप्त नही हुआ। उक्त भूमि मूल रूप से मूल खतियान में खाताधारक अनुसूचित जनजाति दर्ज है जिसमें गैर अनुसूचित जनजाति का हस्तांतरण होना या पंजी II में गैर अनुसूचित जनजाति का जमाबंदी होना उचित प्रतीत नही होता। साथ ही यदि अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तांतरण बिना उपायुक्त/सक्षम पदाधिकारी के गैर अनुसूचित जनजाति में होता है तो CNT Act 1908 के तहत भूमि वापसी का भी प्रावधान है।

अतः अंचल अधिकारी कसमार के प्रतिवेदन पत्रांक 01/मु0, दिनांक 05.05.2025 के अनुशंसा के आलोक में खतियान के आधार पर आदिवासी की भूमि (मौजा–हिसिम अंतर्गत खाता नं0–56, प्लॉट नं0–45,48 एवं अन्य, कुल रकवा–13.18 एकड) का मोहन महतो वगै0 (गैर अनुसूचित जनजाति) के नाम पंजी 2 के पृष्ट सं0 55/2 में कायम जमाबंदी रद्द किया जाता है एवं उक्त अनुशंसा के आलोक में खतियान में दर्ज खतियानी रैयत सुकर मांझी एवं छोटो मांझी पेशरान दीलबर मांझी के नाम से जमाबंदी कायम करने हेतु निर्देश दिया जाता है।

आवश्यक अनुपालनार्थ हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कसमार को भेजें।

क्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

22.5.2025

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

22.5.2025

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.05.29 16:37:04 +05:30
Location: 10.93.6.142